

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विज्ञानी केवल आवासीय प्रयोजन के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 731 दिनांक 20/10/2020

प्रार्थी ब्रह्मादत्त शर्मा डा० एच डी देवी दत्त शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 11001/- पं०

जरिये रसीद संख्या 9669/9649 9650

दिनांक 20/10/2020 को जमा करा दी है ।

Prof 20/10/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

Received

Devendra

20/10/2020

7737492242

जी+1  
आवासीय

P.No: 55 सुभाष नगर योजना विभाग